Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-423/1175 भोपाल, दिनांक 08/04/2022

प्रति,

श्री ललित मोहन गोयल,
सम्प्रवर्तक,
गोयल कॉम्पलेक्स, सदर बाजार,
शिवपुरी (म०प्र०) 473551

विषयः परियोजना- **संध्या ग्रीन्स, शिवपुरी** (REF. No. 136143434721) के संबंध में।

\- O -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि :-

" परियोजना **संध्या ग्रीन्स, शिवपुरी** का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक **P-SVP-22-3257** आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।***"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

नाम– संध्या ग्रीन्स, शिवपुरी

प्रोजेक्ट आई डी: 136143434721

आदेश

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.

4.2022

प्रोजेक्ट का नाम – संध्या ग्रीन्स, शिवपुरी।
सम्प्रवर्तक का नाम – श्री ललित मोहन गोयल, शिवपुरी।

1. प्रकरण में प्राधिकरण के सूचना पत्र कमांक– 873 दिनांक 23.03.2022 से आवेदक से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार सी.ए. सर्टिफिकेट अभी भी रिक्त पेज अपलोड किया गया है अतः उपरोक्त को छोड़कर वांछित अभिलेखों की पूर्ति हो जाने के कारण पंजीयन आवेदन स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई है।
2. प्रकरण में आवेदक– श्री ललित मोहन गोयल, शिवपुरी हैं जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक है। परियोजना– संध्या ग्रीन्स, शिवपुरी ग्राम– झींगुरा, तहसील एवं जिला– शिवपुरी के खसरा नंबर– 2/1 & 2/2 कुल रकबा– 3.292 हेक्टेयर में से नेट प्लानिंग ऐरिया 24438 वर्गमीटर पर प्रस्तावित है। उपरोक्त भूमि पर भूमि का सहस्वामित्व आवेदक के साथ उनके भाई श्री तनुज गोयल का है। आवेदक द्वारा श्री तनुज गोयल के साथ Irrevocable पावर ऑफ अर्टोनी दिनांक 31.08.2021 प्रस्तुत की गई है। जिसमें श्री तनुज गोयल द्वारा श्री ललित मोहन गोयल को मुख्त्यारनामा आम दिया गया है।
3. पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार दोनों भूमि स्वामियों को अधिनियम की धारा 2 (यट) के अनुसार भी संप्रवर्तक के रूप में आवेदन हेतु शपथ पत्र तथा अधिनियम की धारा 4(2) एवं नियम 3 में वांछित संप्रवर्तक से संबंधित अभिलेख जमा किये गये हैं, अतः दोनों भूमि स्वामी संप्रवर्तक होंगे।
4. परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें नेट प्लानिंग ऐरिया 24438 वर्गमीटर में राशि रुपये 82.67 लाख की लागत से विकास कार्य किया जाना है तथा परियोजना में कुल 63 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। आवेदक द्वारा सी.ए. सर्टिफिकेट अभी भी रिक्त पेज अपलोड किया गया है, को छोड़कर वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 31.12.2025 है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत शेड्यूल– ई में परियोजना की पूर्णता दिनांक 31.12.2024 दर्शायी गई है, जो मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्त के अध्यधीन होगा, :–

1– अधिनियम की धारा 2 (यट) के अनुसार परियोजना में निम्नानुसार संप्रवर्तक होंगे :–
(क).श्री ललित मोहन गोयल, शिवपुरी,
(ख). श्री तनुज गोयल
उपरोक्त समस्त संप्रवर्तक परियोजना एवं आवंटितियों के साथ किये गये अनुबंध के लिए पृथक्तः एवं संयुक्ततः रूप से जवाबदेह होंगे।

2– सी.ए. सर्टिफिकेट अभी भी रिक्त पेज अपलोड किया गया है, अतः आवेदक 07 दिवस में सही प्रपत्र अपलोड करें।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करें एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

1|083|22
06.04.22
07.04.22

1094
7/04/22

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"

{नियम 6 (1) देखिए)}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक P-SVP-22-3257 के अधीन मंजूर किया जाता है :- परियोजना- संध्या ग्रीन्स शिवपुरी-म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/~~श्रीमती~~ ललित मोहन गोयल
   पुत्र श्री/~~श्रीमती~~ महेन्द्र कुमार गोयल
   तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी राज्य मध्यप्रदेश

   या

   (फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) ....
   फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी .... में इसका पंजीकृत कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा।

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -

   (एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।

   (दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

   (तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

   (चार) पंजीयन दिनांक 07-04-2022 से शुरू करते हुए 31-12-2024 के साथ समाप्त करते हुए .... वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

   (पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।

   (छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्यधीन।

दिनांक : 07-04-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश Madhya Prades REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY